झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

एस० ओ०............................ राँची, दिनांक.....................

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८(११,१९४८) की धारा-३ की उपधारा-(१) के खण्ड (बी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड राज्य में निम्नलिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित झारखण्ड राज्य में सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्ड/ स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करना चाहते हैं। इससे संबन्धित प्रस्ताव का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा-५ की उपधारा-(१) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार इसके द्वारा प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है की झारखण्ड गज़ट में अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से दो महीने के बाद उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

दो महीने की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को या इसके पहले इस प्रस्ताव के संबंध में किसी व्यक्ति से जो भी आपत्ति या सुझाव प्राप्त होगा उस पर राज्य सरकार विचार करेगी।

क्रम०सं०	नियोजन का नाम	कर्मचारियों की कोटि	न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दरें	न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरें	अभ्युक्ति
0	1	2	3	4	5
	झारखण्ड राज्य में सरकारी कार्यालयों/उपक्रमो/बोर्ड/स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के नियोजन	अकुशल	२९४.४४	७६५५.४४	किसी नियोजक या नियोजन प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों की सेवा अवधि के आधार पर अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के ऊपर निम्नलिखित अधिमानता के साथ न्यूनतम मजदूरी की दरें प्रभावी होंगी:- ०५ वर्ष से कम -शून्य ०५ वर्ष से अधिक तथा १० वर्ष तक -१०% १० वर्ष से अधिक तथा १५ वर्ष तक -१५% १५ वर्ष से अधिक तथा २० वर्ष तक -२०% २० वर्ष से अधिक-३०%
		अर्द्ध कुशल	३१४.०७	८१६५.८२	
		कुशल	४०५.६८	१०५४७.६८	
		अतिकुशल	४७१.११	१२२४८.८६	
		लिपिकीय	४०५.६८	१०५४७.६८	

टिप्पणी:-

(क) न्यूनतम मजदूरी की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ३०१, जो दिसम्बर, २०1८ के सूचकांक पर आधारित है।

(ख) न्यूनतम मजदूरी की प्रस्तावित दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनयम, १९४८ की धारा -४ की उप धारा -४(१) के खण्ड (III) के अंतर्गत होंगी।

(ग) मासिक मजदूरी की दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में रूपान्तरण क्रमशः २६ से भाग दे कर और २६ से गुणा कर के किया जाएगा।

(घ) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(ङ) सप्ताहिक विश्राम के दिन काम करने वाला कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी नियमावली, १९५१ के नियम-२५ में विहित दर से समयोपरि काम का भुगतान पाने का हकदार होगा।

(च) पुरुष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

(संख्या-२/एम०डब्लू०-२०-२०/२०१५ श्र०नि० ९९६ राँची, दिनांक-२५.०६.१९)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

अधिसूचना

एस०ओ०.. ९९७ दिनांक-.२५.०६.१९ का अंग्रेजी भाषामें निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-३४८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृतपाठ समझा जायेगा।

(संख्या-२/एम०डब्लू०-२०-२०/२०१५ श्र०नि०.............................राँची, दिनांक-------------)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

Notification

S.o--------------- **Ranchi, Dated-------**

The following draft of proposal to revise the Minimum rates of wages fixed for Employments of Workers engaged in Government offices/ Undertakings/Board & Local Bodies of employees employed in following scheduled employments in the State of Jharkhand, which the Governor of Jharkhand proposes to make in exercise

of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section-3 of the said Act, is hereby published as required by clause (b) of sub-section (1) of section-5 of the said Act, for the information of persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said proposal will be taken into consideration after two months from the date of publication of this notification in Jharkhand Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from person in respect of the said proposal on or before the date of expiry of the said period two months shall be considered by the State Government.

DRAFT PROPSAL

SCHEDULE

Si.N.	Scheduled Employment	Categories	M.W. Daily Rate	M.W. Monthly Rate	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Employments of Workers engaged in Government Offices/Undertakings/Boards & Local Bodies in the State of Jharkhand	Unskilled	294.44	7655.44	**Rates notified of Minimum wages shall be effective with service weightage at the following rates considering the service period completed under an employer or employment establishment :-** **Below 05 years -Nil** **Above 05 years upto 10 years -10%** **Above 10 years upto 15 years -15%** **Above 15 years upto 20 years -20%** **Above 20 years -30%**
		Semi Skilled	314.07	8165.82	
		Skilled	405.68	10547.68	
		Highly Skilled	471.11	12248.86	
		Clerical	405.68	10547.68	

NOTE:-

(a) The minimum rates of wages above are based on the All India Consumer Price Index Number 301, which is Price Index of December, 2018

(b) The proposed rates of Minimum Wages shall be within the meaning of clause (III) of sub-section (1) of section-4 of the Minimum Wages Act, 1948.

(c) Conversion of the monthly rates of wages into daily rates of wages and vice versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and multiplying the daily rates by 26.

(d) The proposed rates of Minimum Wages above include the remuneration payable to the employees in respect of the day of rest in every period of seven days.

(e) An employee shall, for the work done on the weekly day of rest, be entitled to overtime payment of the rate prescribed in rule-25 of the Jharkhand Minimum Wages Rules-1951

(f) Men and Women workers shall get the same rates of wages of for the work of a similar nature.

(No-2/M.W.-20-02/2015 L&E-997 Ranchi, dated- 25-06-2019

By order of the Governor of Jharkhand,

(Sd/-)

Under Secretary to Government

ज्ञापांक-२/एम०डब्लू०- २०-०२/२०१५ श्र०नि० ९९७ राँची, दिनांक-२५.०६.१९

प्रतिलिपिः-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की ५००प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-२/एम०डब्लू०- २०-०२/२०१५ श्र०नि०-९९७ राँची,दिनांक-२५.०६.१९

प्रतिलिपिः-माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-२/एम०डब्लू०- २०-०२/२०१५ श्र०नि०-९९७ राँची,दिनांक-२५.०६.१९

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल),भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त(केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली / क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/ निदेशक,लेबर ब्यूरो,शिमला /चण्डीगढ़ /स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उपविकास आयुक्त, झारखण्ड/ सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद(केन्द्रीय)श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के सभी सदस्यगण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम,रांची/ निदेशक,सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची/ सभी विभागीय पदाधिकारियों(तकनीकी सहित)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।